कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 14/2020-21/

दिनांक : /02/2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत, गजा,

जनपद – टिहरी गढ़वाल ।

विषय : नगर पंचायत गजा, जनपद- टिहरी गढ़वाल का वर्ष 04/2005 से 03/2020 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **शून्य** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **05** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 13 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 14/2020-21/ दिनांक: /02/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**यह गठन के उपरांत इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **1.07वर्ग किमी**

(ii) जनसंख्या: **2098 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या:**06**

(iv) आयोजित बैठकों की संख्या:**08**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: ---

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **01**

(vii) इकाई की संपत्तियाँ: **पालिका भवन हेतु आवंटित भूमि**

(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक सुरक्षा:--

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:--

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:--

(द) लाभार्थियों की संख्या:--

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

(धनराशि ₹ में)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गजा जनपद टिहरी का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र0सं0	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग					
2	राज्य वित्त आयोग					
3	अवस्थापना विकास निधि	0	450000	450000	745	449255
4	पालिका निधि					
5	स्वच्छ भारत मिशन					
	कुल योग	0	450000	450000	745	449255

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गजा जनपद टिहरी का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण						
क्र0सं0	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग					
2	राज्य वित्त आयोग					
3	अवस्थापना विकास निधि	449255	2894000	3343255	93167	3250088
4	पालिका निधि					
5	स्वच्छ भारत मिशन					
	कुल योग	449255	2894000	3343255	93167	3250088

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गजा जनपद टिहरी का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण						
क्र0सं0	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	1870000	1870000	-	1870000
2	राज्य वित्त आयोग	0	12500000	12500000	998000	11502000
3	अवस्थापना विकास निधि	3250088	816666	4066754	368610	3698144
4	पालिका निधि	0	41460	41460	8340	33120
5	स्वच्छ भारत मिशन	-	-	-	-	-
	कुल योग	3250088	15228126	18478214	1374950	17103264

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गजा जनपद टिहरी का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण						
क्र0सं0	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1870000	3160000	5030000	1483823	3546177
2	राज्य वित्त आयोग	11502000	7500000	19002000	6358383	12643617
3	अवस्थापना विकास निधि	3698144	-	3698144	2999903	698241
4	पालिका निधि	33120	206296	239416	144377	95039
5	स्वच्छ भारत मिशन	-	-	-	-	-
	कुल योग	17103264	10866296	27969560	10986486	16983074

कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, गजा जनपद टिहरी का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण						
क्र0सं0	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	3546177	3627000	7173177	2565905	4607272
2	राज्य वित्त आयोग	12643617	7500000	20143617	8582525	11561092
3	अवस्थापना विकास निधि	698241	-	698241	457492	240749
4	पालिका निधि	95039	1309680	1404719	853666	551053
5	स्वच्छ भारत मिशन	-	80880	80880	28822	52058
6	डे0एन0यू0एल0एन0	-	40000	40000	20118	19882
	कुल योग	16983074	12557560	29540634	12508528	17032106

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गजा का केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण						
वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन	-	-	-	-	-
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन	-	-	-	-	-
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन	-	80880	80880	28822	52058
2017-18	केन्द्रीय वित्त आयोग	-	1870000	1870000	-	1870000
2018-19	केन्द्रीय वित्त आयोग	1870000	3160000	5030000	1483823	3546177
2019-20	केन्द्रीय वित्त आयोग	3546177	3627000	7173177	2565905	4607272
2017-18	डे0एन0यू0एल0एन0	-	-	-	-	-
2018-19	डे0एन0यू0एल0एन0	-	-	-		-
2019-20	डे0एन0यू0एल0एन0	-	40000	40000	20118	19882

भाग II - (ब)

प्रस्तर 01: नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली न किये जाने के कारण राजस्व की हानि।

उत्तराखंड शासन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 476/XXXIV/2018-17/ सू0प्रौ0/2018 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में दूरसंचार कंपनियों हेतु Uttarakhand Right of Way, 2018 को प्रख्यापित किया गया है। Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 3 के अनुसार नगर निगम को अपने क्षेत्रांतर्गत Optical Fiber Cable बिछाने तथा मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु किए गये आवेदन पर आवेदनकर्ता को लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 11.3 के अनुसार, "Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one – time non-refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work. In case of Government land, annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on 'per square meter basis'. Market value of the land will be fixed by District collector, which shall be revised in every 5 (five) years. Provided that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed ` 10,000 per month.

Further, an amount of `` 5000/ (Rupees Five Thousand only) per tower shall be collected from licensees/infrastructure provides as 'one time' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees/infrastructure Providers, each one of thelicenses shall pay `` 5000/ (Rupees Five Thousand only) as permission fees additionally. The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office".

कार्यालय नगर पंचायत, गजा जनपद - टिहरी के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई को अपने क्षेत्रांतर्गत मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात नहीं थी और न ही इकाई द्वारा मोबाईल टावरों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया था। इकाई द्वारा OpticalFibreCable बिछाने तथा रोड कटिंग हेतु आतिथि तक कोई अनुमति ठेकेदारों को प्रदान नहीं की गई गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मोबाईल टावरों हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है तथा न ही कोई आवेदन आया है। साथ ही यह भी बताया कि नगर पंचायत द्वारा कोई भी फीस/शुल्क नहीं वसूली गयी है तथा इस संबंध में कोई नियमावली/उपविधि नहीं बनाई गयी है। आगे यह भी बताया की शासनादेश की जानकारी के अभाव में टेलिकॉम कंपनियों से वसूली नहीं की जा सकी है भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मोबाईल टावरों की सख्या ज्ञात कर अपनी आय बढ़ाने हेतु इकाई द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये थे। नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की कोई भी वसूली न किये जाने के कारण इकाई को राजस्व की हानि हो रही थी जिसकी वसूली की जाना अपेक्षित है।

अत: नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से किसी भी प्रकार के चार्जेज न लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 02: कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में ठेकेदार से ₹ 1.22 लाख की वसूली न किया जाना ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 केनियम 17के अनुसार :-

(1) संविदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविददाता, जिसके पक्ष में संविदा दी गयी हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) ली जाएगी। कार्यपूर्ति धरोहर प्रत्येक सफल निविदादाता से, उनके पंजीकरण की प्रास्थिति आदि पर ध्यान दिये बगैर, ली जाएगी। अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टि में रखते हुए कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा के मूल्य की 5 से 10 प्रतिशत होनी चाहिए। "

(2) कार्यपूर्ति धरोहर आपूर्तिकर्ताओं / निविदादाताओं के संविदा से संबन्धित सभी दायित्वों को, जिनमें वारंटी संबंधी दायित्व सम्मिलित हैं, पूर्ति करने की अवधि पूरी करने के दिवस से 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है।

नगर पंचायत गजा के विद्युत व सफाई सामग्री की अधिप्राप्ति कार्य से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा M/s रमन इलेक्ट्रिकल्स, ऋषिकेश के साथ 11.12.2019 को न्यूनतम निविदा के आधार पर विद्युत सामग्री के क्रय हेतु अनुबंध गठित किया गया जिसके अनुक्रम में ₹ 34,44,420/- के विद्युत उपकरणों की खरीद M/s रमन इलेक्ट्रिकल्स, ऋषिकेश के बिल संख्या 63 दिनांकित 28.12.2019 द्वारा की गयी थी।

आगे जांच में पाया गया कि अनुबंध पत्र में वारंटी की अवधि का कोई उल्लेख नहीं था जबकि अनुबंध पत्र की शर्त संख्या 09 के अनुसार आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणो/ सामग्री की निर्माता कंपनी की ओर से गारंटी/ वारंटी प्रमाण पत्र देना होगा । इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया कि कार्यपूर्ति धरोहर के रूप में न्यूनतम ₹ 1,72,221/- (₹ 34,44,420 का 5 प्रतिशत) की प्रतिभूति संबन्धित वेंडर से नहीं ली गयी है। यद्यपि इकाई के पास निविदा प्रतिभूति के रूप में ₹ 50,000/- की प्रतिभूति सावधि जमा के रूप में थी परंतु यह न्यूनतम कार्यपूर्ति धरोहर से ₹ 1,22,221/- कम थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में कहा गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

अतः कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में ठेकेदार से ₹ 1,22,221/- की वसूली न किये जाने काप्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग 2(ब)</u>

प्रस्तर 03: उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का उल्लंघन करते हुए ₹ 9.98 लाख कीमत के वाहन का क्रय कोटेशन के आधार पर किया जानातथा वाहन का पंजीकरण व बीमा न कराया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 केनियम 17के अनुसार:-

(I) नियम 9-सीमित निविदा पृच्छा –

(1) सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय आपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत ₹ 25,00,000 (₹ पच्चीस लाख) तक हो।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम तीन निविदाएँ प्राप्त हों, प्रश्नगत सामग्री के लिए निविदा दस्तावेज़, पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची से तीन से अधिक फ़र्मों को सीधे स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कूरियर ईमेल से भेजे जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त सीमित निविदा के लिए वेब साइट द्वारा भी प्रचार किया जाना चाहिए ।

(3) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिक अनुक्रियाशील निविदा प्राप्त करने के लिए यथा संभव अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हित किया जाय। ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हित करने के लिए विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों, राष्ट्रीय समाचार पत्रो और संबन्धित आपूर्तिकर्ताओं की विभिन्न वेबसाइटों का उपयोग किया जा सकता है ।

(II) नियम संख्या 11- एकल स्रोत पृच्छा : एकल स्रोत से अधिप्राप्ति / क्रय निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकेगा :-

(क) उपभोक्ता विभाग को इस बात की जानकारी दे कि अपेक्षित सामग्री का विनिर्माण किसी एक विशेष फर्म द्वारा किया जाता है ।

(ख) मशीनों या ऐसे कलपुर्ज़ों के मानकीकरण के लिए, जो विद्यमान उपकरणो में उपयोग किये जाने के लिए उपयुक्त है। सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ के परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपेक्षित मदें केवल एक विशेष फर्म से ही खरीदी जा सकेंगी, और

(घ) ऐसे क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाना चाहिए ।

नगर पंचायत गजा के ₹ 9,98,000/- की कीमत के टाटा 407 वाहन की खरीद से संबन्धित पत्रवालियों की नमूना जांच में पाया गया कि:-

(1) दिनांक 05. 02.2018 को इकाई द्वारा नोटिंग पर उपरोक्त वाहन को कोटेशन पर क्रय करने की संस्तुति की गयी जिस पर तत्कालीन प्रशासक महोदय द्वारा अधिप्राप्ति के नियमो का पालन करने का आदेश दिया गया था ।

(2) दिनांक 15.03.2018 को इकाई द्वारा नोटिंग में अधिप्राप्ति नियमवाली 2017 के नियम 11(क) एकल स्रोत पृच्छा के आधार पर ओबराय मोटर्स लिमिटेड से वाहन क्रय करने की संस्तुति की गयी जिस पर प्रशासक महोदय द्वारा कहा गया कि यदि TATA 407 ही प्रयोजनार्थ सर्वथा उपयुक्त है तो इस तथ्य को पत्रावली में संचित किया जाय। जिसके प्रतिउत्तर में इकाई द्वारा 05.05.2018 की नोटिंग में वाहन के सर्वथा उपयुक्त होने के प्रमाण के रूप में अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। परंतु उक्त पत्र **(/टी.आर./सत्रह-तीन/पंजी.-अनुमोदन /2017-18 दिनांकित 07 जून 2017)** में कोई ऐसा तथ्य नहीं जो यह प्रमाणित करता हो कि उक्त वाहन ही सर्वथा उपयुक्त है, जिस पर प्रशासक महोदय द्वारा क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी तथा इकाई द्वारा 18 जून 2018 को वाहन क्रय कर लिया गया ।

आगे जांच में पाया गया कि क्रय के लगभग 30 माह बीत जाने के बाद भी वाहन का पंजीकरण व बीमा नहीं कराया गया है जो कि मोटर वाहन एक्ट 1988 के अध्याय IV की धारा 39 तथा अध्याय XI की धारा 146 का उल्लंघन हैं ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में इस प्रकार के क्रय में अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किया जाएगा तथा वाहन के पंजीकरण व बीमा हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।

अतः उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का उल्लंघन करते हुए ₹ 9,98,000/- कीमत के वाहन का क्रय कोटेशन के आधार परकिये जाने तथा वाहन का पंजीकरण व बीमा न कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग II - (ब)

प्रस्तर 04: निर्माण कार्यों से काटी गयी रायल्टी की 25 प्रतिशत धनराशि ₹0.55 लाख को जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा न किया जाना ।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-I/2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12.01.2015 से प्रवृत हुई समझी जायेगी।

उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 के नियम 10(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बाजरी,बोल्डर,सोपस्टोन,सिलिकासैंड आदि पर खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा।

नगर पंचायत, गजा जनपद- टिहरी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराये गए निर्माण कार्यों के लेखा – अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष काटी गयी रायल्टी को चालानों/कोषागार द्वारा जमा/काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि **₹ 220318/-** को राजकोष में जमा कराया गया था, जिसके सापेक्ष 25% की कटौती कर धनराशि उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराई जानी थी, जो जमा नहीं कराई गयी है, जिसका विवरण निम्न है:

क्रम स0	निर्माण कार्य का नाम	काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि	25% की धनराशि
1.	कॉलेज रोड पर सी0सी0 सड़क निर्माण	9676	2419
2.	सोलर स्ट्रीट लाइट फिक्सिंग	775	194
3.	गजा पंचायत भवन से स्वान केंद्र एवं पॉलिटेकनिक को जाने वाली सड़क	25324	6331
4.	वेलमती चौक से कॉलेज रोड तक सी0 सी0 सड़क मार्ग	14926	3732
5.	वेलमती चौक से आदर्श मार्केट होते हुए नाग राजा मंदिर तक सी0सी0मार्ग (IstRA)	7700	1925
6.	वेलमती चौक से आदर्श मार्केट होते हुए नाग राजा मंदिर तक सी0सी0मार्ग (IIndRA)	12656	3164
7.	गजा चौक से स्टेट बैंक रोड निर्माण (IstRA)	16356	4089
8.	गजा चौक से स्टेट बैंक रोड निर्माण (IIndRA)	15201	3800
9.	फार्म हाउस से हाउस बाउंड्री तक सी0 सी0 मार्ग (IstRA)	11006	2752
10.	फार्म हाउस से हाउस बाउंड्री तक सी0 सी0 मार्ग (IIndRA)	10827	2707
11.	नैन सिंह चौहान के मकान से बचन दास के मकान तक सी0सी0 मार्ग	16909	4227
12.	नैन सिंह चौहान के मकान से बेसिक स्कूल होते हुए खालून खाला तक सी0सी0 मार्ग	14183	3546
13.	वार्ड स0 4 में मात्र छाया से हीरालाल के मकान होते हुए प्राथमिक विध्यालय केम दाढ़ी सी0 सी0 सड़क निर्माण	26008	6502
14.	वार्ड स0 4 प्राथमिक विध्यालय केम दाढ़ी से जयकोट डाडा,सोवन लाल के मकान तक सी0 सी0 सड़क निर्माण	9590	2398
15.	वार्ड स0 4 कलम सिंह के मकान से रौठों भाली तक से जबर सिंह के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण	23530	5883
16.	तहसील भवन गजा से फार्म हाउस तक सी0 सी0 सड़क मार्ग	5651	1413
	कुल योग	**220318**	**55082**

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त रायल्टी के सापेक्ष जिला न्यास निधि अंशदान हेतु रायल्टी की 25 प्रतिशत की धनराशि **₹ 55082/-**को संबन्धित निर्माण कार्यों से कटौती करके जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराई जानी थी। परंतु उक्त धनराशि लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नहीं कराई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया कि आतिथि तक 25 प्रतिशत की धनराशि जिला फ़ाउंडेशन न्यास जमा में नहीं कराई गयी है तथा संबन्धित धनराशि ठेकेदारों से वसूली कर जमा करा दी जायेगी। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि यह आदेश 17.11.2017 से है जोकि तिथि 12.01.2015 से प्रवृत माना गया था।

अत: इकाई द्वारा **₹ 0.55/- लाख** धनराशि रायल्टी के 25 प्रतिशत के रूप में नहीं काटे जाने का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 05: केन्द्रीय अनुदान के रुप में आवंटित धनराशि ₹ 86.57 लाख के सापेक्ष 02 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी मात्र धनराशि ₹ 33.32 लाख *(37 प्रतिशत)* ही व्यय किया जाना।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देश दिनांक 08 अक्टूबर 2015 के नियम 19 (1)के अनुसार बेसिक ग्रान्ट की प्रथम किस्त माह जून में निर्गत की जायेगी तथा आगे की किस्त जारी करने के लिए पूर्व में जारी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जारी की जायेगी। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा अनुदान की धनराशि निर्गत करते समय प्रत्येक शासनादेश में अनुदान की राशि के उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के लिए तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया था।

नगर पंचायत, गजा को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सफाई एवं पथ प्रकाश आदि कार्यो के सम्पादन के लिए अवमुक्त धनराशि एवं उसकी उपयोगिता से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक प्रेषित नहीं किये गये थे और न ही उक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित अवधि तक किया गया था। वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि में अवमुक्त धनराशि तथा उसके उपयोग से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैः-

(धनराशि ₹ लाख में)

शासनादेश दिनांक	**अवमुक्त धनराशि**	**उपयोग हेतु निर्धारित तिथि**	**उपयोगित धनराशि**	**अवशेष धनराशि**	**प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि**
17.08.2017	10.06	31.12.2017	10.06	Nil	10.06
25.01.2018	08.64	31.03.2018	08.64	Nil	04.06
02.08.2018	09.99	30.11.2018	09.99	Nil	
24.03.2018	11.14	31.06.2019	10.72	00.42	
29.03.2019	10.47	30.06.2019	Nil	10.47	
20.11.2019	18.03	31.03.2020	Nil	18.03	
06.01.2020	18.24	30.06.2020	Nil	18.24	
कुल योग	**86.57**		**33.32**	**47.16**	**14.12**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपरोक्त अवधि 2016-17 से 2019-20 के दौरान केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत लेखापरीक्षा अवधि में 07 शासनादेश के माध्यम से कुल धनराशि ₹ 86.57 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष उक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता अवधि के 06 से 37 माह का समय व्यतीत होने के पश्चात भी वर्तमान तक केवल धनराशि ₹ 33.32 लाख का ही व्यय किया जा सका था तथा शेष धनराशि ₹ 47.16 लाख व्यय किये जाने हेतु शेष है। इससे स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय अनुदान की धनराशि को व्यय किये जाने के सम्बन्ध में नगर पंचायत द्वारा उदासीन रवैया अपनाया जा रहा था। यह भी पाया गया कि व्यय धनराशि के भी उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान तक शासन को प्रेषित नहीं किये गये थे। अवशेष धनराशि निगम के पी.एल.ए. खाते में अवशेष के रुप में रक्षित है। यह भी

पाया गया कि केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत अवमुक्त सभी धनराशियों का उपयोग कतिपय कारणें से न होने की स्थिति में शासन ने अपने पत्र दिनांक 12 जनवरी 2021 के माध्यम से केन्द्रीय अनुदान के उपयोग हेतु समय वृद्धि दिनांक 31 मार्च 2021 तक बढा दी है। परन्तु इकाई के पास वर्तमान में भी अत्यधिक धनराशि अवशेष के रुप में पडी है, जिसे आगामी 02 माहों में व्यय किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि अवशेष धनराशियों का व्यय माह मार्च 2021 के अन्त तक पूर्ण रुप से कर लिये जाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि आवंटन से 02 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी वर्तमान तक केवल 37 प्रतिशत धनराशियों का ही व्यय किया जा सका है और आगामी 02 माहों में व्यय किये जाने का कोई ठोस आधार भी दिखाई नहीं देता।

अतः केन्द्रीय अनुदान के रुप आवंटित धनराशि ₹ 86.57 लाख के सापेक्ष 02 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी मात्र धनराशि ₹ 33.32 लाख *(37 प्रतिशत)* ही व्यय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत– गजा, जनपद – टिहरी गढ़वाल के वर्ष **04/2015**से **03/2020** तक के लेखा/अभिलेखों की संप्रेक्षा **श्री पी.आर. चौहान, स.ले.प.अ.** तथा **श्री राजवेश भट्ट,वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा **श्री राज बहादुर,व.ले.प.अ.** के पर्यवेक्षण में दिनांक **25.01.2021**से**30.01.2021** संपादित की गयी ।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
--यह इकाई का प्रथम निरीक्षण था --			

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--सामान्य --

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत– गजा, जनपद – टिहरी गढ़वाल**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			से	तक
01.	श्री के.पी.सेमवाल	अधिशासी अधिकारी	01.02.2015	24.01.2018
02.	श्री दिनेश कृषाली	अधिशासी अधिकारी	25.01.2018	24.09.2019
03.	श्रीमती मंजु चौहान	अधिशासी अधिकारी	25.09.2019	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत– गजा, जनपद – टिहरी गढ़वाल**को इस आशय से प्रेषित कर दिया जाएगा है कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल,"महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी /AMG-II